न्यायालय-पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 682 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 14 / 09 / 2015)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

<u>// विरूद्ध /</u>/

जय कुमार उर्फ जैकी पुत्र कमल सिंह यादव उम्र 26 वर्ष 01. निवासी: – वार्ड कमांक 03 लुहारपुरा मी, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 17 / 12 / 2016 को घोषित)

अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैकी पर भा.द.सं. की धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 28/07/2015 की रात्रि में किसी समय, फरियादी श्रीमती अतरबाई का घर स्थित कटरा मौहल्ला करबा मौ में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्री गृह भेदन किया एवं फरियादी श्रीमती अतरबाई के नैवासिक गृह में से दो बकरियाँ उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

- प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं। 02.
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 28/07/2015 की रात्रि में किसी समय, फरियादी श्रीमती अतरबाई का घर स्थित कटरा मौहल्ला कस्बा मौ में, आरोपी जैकी उर्फ जय कुमार द्वारा फरियादी अतरबाई के घर में प्रवेश कर फरियादी अतरबाई के आधिपत्य की दो बकरियाँ चुराने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अतरबाई द्व ारा दिनांक 30 / 07 / 2015 को सुबह 09:10 बजे थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 188 / 15 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा–मौका बनाया गया। आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी को दिनांक 03 / 08 / 2015 को गिरफुतार कर गिरफुतारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन दिनांक : 03/08/2015 को अंकित किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उसने दिनांक : 28 / 07 / 2015 की रात्रि को फरियादी अंतरबाई के घर से दो बकरियाँ चोरी की, जिन्हें उसने पाँच हजार रूपये में बेच दिया, जिसमें से तीन हजार रूपये खर्च हो चुके है, दो

हजार रूपये बचे है, जो उसने अपने घर के अन्दर पेटी में रखे है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी के लुहारपुरा स्थित मकान से दिनांक : 03/08/2015 को 2,000/— रूपये जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। विवेचना के दौरान फरियादी अतर बाई, साक्षी कमलेश एवं छुन्ना के कथन लेखबद्ध किये गये और विवेचना पूर्णकर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैकी के विरूद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी ने दिनांक : 28/07/2015 की रात्रि, फरियादी श्रीमती अतरबाई का घर स्थित कटरा मौहल्ला कस्बा मौ में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?
- 01. क्या आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी श्रीमती अतरबाई के नैवासिक गृह में से दो बकरियाँ उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?
 - 03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 एवं 02

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. फरियादी अंतरबाई अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार यादव को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 12/05/2016 से लगभग 06 माह पूर्व की होकर रात्रि के समय की है। उस दिन वह रात्रि में अपने घर पर सो रही थी, उसके घर में बकरियाँ थी।

जब उसने सुबह जागकर देखा तो उसकी बकरियाँ उसके घर पर नहीं थी। साक्षी आगे कहता है कि फिर उसने मौहल्ले वालों से जाकर तलाश किया तो कमलेश ने उसे बताया कि तुम्हारी बकरियाँ जैकी उर्फ जयकुमार यादव रात्रि के समय ले गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा—मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसके पूछताछ कर उसका बयान लिया था। उसके पास दो बकरियाँ थी, जिसमें से एक काले कलर की थी, जिस पर सफेद रंग के छापे थे एवं दूसरी बकरी सफेद रंग की थी, जिस पर काले रंग के छापे थे। साक्षी आगे कहती है कि उसे आज तक उसकी बकरियाँ वापस नहीं मिली।

- 09. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 फरियादी अतरबाई अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षी छुन्ना एवं कमलेश की आरोपी जयकुमार से रंजिश है, इसलिए उक्त साक्षीगण ने उसे आरोपी जयकुमार द्वारा उसकी बकरियाँ चुराने की बात असत्य रूप से बताई है। अतर बाई अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके गौड़े का दरवाजा घटना दिनांक को खुला रह जाने के कारण उसकी बकरियाँ अपने आप भाग गई थी। प्रति—परीक्षण उपरांत भी अतरबाई अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य घटना दिनांक को उसकी दो बकरियाँ चोरी हो जाने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। अतर बाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है।
- 10. अभियोजन साक्षी बलवीर अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 30/07/2015 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी अतर बाई द्वारा थाना आकर आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी के विरूद्ध उसकी दो बकरियाँ फरियादी के घर से चुरा लेने की मौखिक रिपोर्ट की जाने पर उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 188/2015 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् केस डायरी विवेचना हेतु एएसआई अबनीश शर्मा को सौंप दी थी। इस वावत् बलवीर अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति—परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। बलवीर अ. सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। बलवीर अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से अतरबाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है। उक्त विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक : 28/07/2015 की रात्रि फरियादी अतर बाई का घर स्थित कटरा मौहल्ला मौ में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व गृह भेदन कर उसकी दो बकरियाँ चोरी की गई थी।
- 11. साक्षी कमलेश अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार यादव को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य दिनांक : 12/05/2016 से लगभग एक वर्ष पूर्व की होकर शाम 06 की गर्मी के मौसम की है। घटना दिनांक को रिमझिम बारिस हो रही थी, तभी जैकी अतर बाई की दो बकरियाँ लेकर चला गया। उसने आरोपी जैकी को अंतरबाई की बकरियों को ले जाते हुए देख लिया था, उसने अतर बाई को दूसरे दिन सुबह यह बता दिया कि उसकी बकरियों को जैकी ले गया है। साक्षी आगे कहता है कि एक काले रंग की बकरी थी, जिस पर सफेद रंग के छापे थे एवं दूसरी बकरी सफेद रंग की थी, जिस पर काले रंग के छापे थे। पुलिस ने उसके पूछताछ कर उसका बयान लिया था। प्रति-परीक्षण के पद कमांक 02 में कमलेश अ.सा.03 का यह कहना है कि फरियादी अतरबाई के घर में एक बैठक एवं एक कमरा है। साक्षी आगे कहता है कि घटना दिनांक को वह अतर बाई के घर पर रूका था, उस दिन अतरबाई के कमरे में रामायण पाठ चल रहा था, तभी उसने देखा कि आरोपी जैकी अंतर बाई की बकरियाँ लेकर स्टेण्ड़ की तरफ जा रहा था। परन्तु इस साक्षी द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि यदि उसने आरोपी को फरियादी अतर बाई की बकरियाँ ले जाते हुए देख लिया था तो उसने आरोपी को उक्त बकरियाँ ले जाने से रोका क्यों नहीं और उक्त चोरी की जानकारी तत्काल अतर बाई को क्यों नहीं दी, उक्त जानकारी देने के लिए अगले दिन सुबह का इंतजार क्यों किया, जबकि वह घटना दिनांक को अतर बाई के घर में बैठक में ही मौजद था।

प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 02 में पुनः कमलेश अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण में कहे गये तथ्य को दोहराते हुए यह दर्शित किया है कि घटना शाम लगभग 06 बजे की है। घटना के समय बादल होने से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा हो गया था एवं गांव में लाईट भी नहीं थी। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 03 में कमलेश अ.सा.03 का यह कहना है कि पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था और पुलिस को उसने उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में यह नहीं बताया था कि घटना रात्रि के 12 बजे की है और उसने स्ट्रीट लाईंट में उठकर यह देखा था कि आरोपी जैकी बकरियों को ले जा रहा था। कमलेश अ.सा.०३ के पुलिस कथन प्र.डी.०१ में इस तथ्य का उल्लेख है कि दिनांक : 28 / 07 / 2015 की रात्रि वह अपने घर के दरवाजे के सामने कटरा मौहल्ला मौ में चबूतरे पर सो रहा था। रात्रि के 11–12 बजे का समय होगा, बकरियों के मैं-मैं की आवाज सुनाई दी तो उसने उठकर स्ट्रीट लाईंट की रोशनी में देखा कि जैकी उर्फ जयकुमार दो बकरियों के कान पकड़े हुए खींच कर ले जा रहा था। इस प्रकार आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार उक्त बकरियाँ कथित रूप से चुराकर शाम 06 बजे ले जा रहा था, अथवा रात्रि 11–12 बजे, इस वावत कमलेश अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। निश्चय ही रात्रि 11–12 बजे एवं शाम 06 बजे के समय के मध्य इतना अंतर होता है जिसे ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कमलेश अ.सा.03 का कहना है कि घटना दिनांक को वह फरियादी अतर बाई के घर पर रूका था। जबकि पुलिस कथन प्र.डी.01 में उसका कहना है कि घटना दिनांक को वह कटरा मौहल्ला मौ स्थित स्वयं के घर के दरवाजे के सामने चबुतरे पर सो रहा था। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में भी कमलेश अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है। इस प्रकार कमलेश अ.सा.03 द्वारा आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार को फरियादी अतरबाई की दो बकरियाँ चुराकर ले जाते देखने के संबंध में कमलेश अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद है और संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

साक्षी छुन्ना सिंह अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी जैकी यादव को जानता है। वह फरियादी अंतर बाई को भी जानता है। ध ाटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 04/04/2016 से लगभग छ:-सात महीने पहले की है, जिसमें अंतर बाई की बकरियाँ चोरी हो गई थी। पुलिस ने उससे इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सुचक प्रश्न पुछे जाने पर छुन्ना सिंह अ.सा.०१ ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक : 28 / 07 / 2015 की रात्रि लगभग 11:30 बजे उसने स्ट्रीट लाईट की रोशनी में आरोपी जैकी को बकरियाँ ले जाते हुए देखा था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने फरियादी अंतरबाई को बताया था कि उसकी बकरियाँ आरोपी जैकी रात्रि साढ़े 11:30 बजे ले गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा छुन्ना सिंह अ.सा.01 को उसके पुलिस कथन प्र.पी.01 का सम्पूर्ण भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार छुन्ना सिंह अ.सा.01 ने किसी भी प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

अभियोजन साक्षी राजन सिंह अ.सा.०७ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 30 / 07 / 2015 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 188/2015 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को ही उसने फरियादी अंतर बाई के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 03 / 08 / 2015 को आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षीगण के समक्ष आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी का धारा 27 का साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन लिया गया था, जिसमें आरोपी ने स्वेच्छया बताया था कि ''दिनांक : 28 / 07 / 2015 की रात को अंतर बाई की दो बकरियाँ जो घर में बंधी थी, जिन्हें उसने चोरी करके पाँच हजार रूपये में बेच दिया था, तीन हजार रूपये खर्च हो गये एवं दो हजार रूपये बचे है, जिनको उसने अपने घर के अन्दर पेटी या बक्सा में रख दिया है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ''। उक्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन प्र.पी.04 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी के मकान से

करीबन 09 बजे आरोपी द्वारा पेश करने पर 02 हजार रूपये, जिसमें एक हजार का एक नोट एवं पाँच—पाँच सौ के दो नोट जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आरक्षक राजेश सिंह अ.सा. 04 तथा देवेश यादव अ.सा.05 ने भी प्र.पी.04, प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 के ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक पर क्रमशः ए से ए तथा बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर होने का तथ्य तथा आरोपी जैकी की दिनांक : 03/08/2015 को गिरफ्तारी, उससे पूछताछ कर उसका ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम लेखबद्ध किये जाने तथा उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी के घर से दो हजार रूपये जब्त किये जाने का तथ्य बताया है और इस वावत् राजन सिंह अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है। साक्षी राजन सिंह अ. सा.07 आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक 30/07/15 को अतर बाई एवं दिनांक : 03/08/2015 को कमलेश एवं छुन्ना के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें कुछ घटाया—बढ़ाया नहीं था। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

15. उल्लेखनीय है कि विवेचक राजन सिंह अ.सा.07 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन प्र.पी.04 लेखबद्ध करते समय आरोपी से यह पूछा अथवा नहीं कि उसने उक्त चुराई गई बकरियाँ पाँच हजार रूपये में किस व्यक्ति को बेच दी थी। विवेचक राजन सिंह द्वारा इस वावत् कोई अन्य साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास किया गया हो ऐसा भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अन्य अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में चुराई गई बकरियाँ बरामद भी नहीं हुई है। मात्र आरोपी से दो हजार रूपये बरामद हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा फरियादी अतरबाई की दो बकरियाँ चुराई गई थी, जो उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पाँच हजार रूपये में विक्रय कर दी गई थी और उक्त जब्तशुदा दो हजार रूपये, पाँच हजार रूपये में तीन हजार रूपये खर्च करने के बाद बची हुई राशि है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य दोनों ही प्रकार की अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पद है और संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी ने दिनांक : 28/07/2015 की रात्रि, फरियादी श्रीमती अतरबाई का घर स्थित कटरा मौहल्ला करबा मौ में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फरियादी श्रीमती अतरबाई के नैवासिक गृह में से दो बकरियाँ उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

अंतिम निष्कर्ष

- 17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी जय कुमार उर्फ जैकी के विरूद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. आरोपी के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये गये। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।
- 19. प्रकरण में आरोपी से जब्तशुदा 2,000 / रूपये किसी भी व्यक्ति द्वारा दावाकृत ना होने के कारण अपील ना होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् राज्य के पक्ष में समपहृत कर व्ययनित किये जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद